

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/शा.शि./एस/06/पा.प्र.पत्र/2012/303  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.7.12


- 1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण म.प्र.
- 2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

विषय:- संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र विषयक।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र./शा.शि./एस./06/रा.स्त./2012/301-02 भोपाल दि०  
13.7.2012।

संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व में जारी पात्रता प्रमाण पत्र के प्रारूप में आवश्यकता अनुसार आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्यतयः सत्र 2012-13 में उपयोग करते हुये भरा जाना आवश्यक है। उक्त पात्रता प्रमाण पत्र 5 प्रतियों में भरा जाना अनिवार्य है।

सलग्न- संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र प्रारूप

  
14/7/12


(शेखर वर्मा)

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 14.7.12

क्रमांक/शा.शि./एस/06/पा.प्र.पत्र/2012/304  
प्रतिलिपि-

- 1 आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सतपुडा भवन भोपाल।

  
14/7/12

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

